तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.57/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
18.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र देशाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– श्रीनागर बस्ती, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भारत अपना बाजार, सीनीयर सैकेन्डरी स्कूल, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वकील उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 15.2.2022 को फर्म भारत अपना बाजार, सीनीयर सैकण्डरी स्कूल, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, पिण्डवाडा, जिला–सिरोही में प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र देशाराम जी माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1705 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./520/Act/2022/521 दिनांक 28.2.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी सुरेश कुमार की ओर से वकील श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी सुरेश कुमार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) का निर्माण व पैकिंग नही की है। प्रतिवादी ने सेम्पलिंग की कार्यवाही विधिवत नही की है व न ही प्रतिवादी के समक्ष सम्पादित की है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 15.2.2022 को फर्म भारत अपना बाजार, सैकण्डरी स्कूल के पास, पोसालिया में प्रतिवादी/विक्रेता सुरेश कुमार से खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही [illegible] ईगल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1705 को जांच हेतु [illegible] विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य [illegible] जांच रिपोर्ट ...लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:45 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.57/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

क्रमांक:L.S./520/Act/2022/521 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क--4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (गोल्डन ईगल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुरेश कुमार पुत्र देशाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– श्रीनागर बस्ती, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भारत अपना बाजार, सीनीयर सैकेन्डरी स्कूल के पास, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी सुरेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.8.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:45 IST
Reason: SelfAttested